



भारत सरकार  
**Government of India**  
 खान मंत्रालय  
**Ministry of Mines**  
 भारतीय खान व्यूरो  
**Indian Bureau of Mines**

संख्या : RAJ/RJS/Pb Zn-01 Vol-III

पंजीकृत पावती  
 उल्लंघन पत्र  
 माखुपूरा औद्धोगिक क्षेत्र,  
**Makhupura Industrial Area**  
 अजमेर.-305 002 (राजस्थान)  
**Ajmer- 305 002 (Rajasthan)**  
 फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

दिनांक : 23.08.2017

प्रेषित : M/S Hindustan Zinc Ltd,  
 P.O. Dariba, Tehsil- Railmagra,  
 District- Rajsamand.

विषय : राजस्थान राज्य के Rajsamand ज़िले में स्थित आपकी Rajpura Dariba lead zinc खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 23.07.2017 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Scheme of mining (Approved on 22.07.2015): - 1) In Table no 9, exploratory drilling of 5500m was proposed, but only 5373.10m had been made during 2016-17. 2) In Table no 13A, a development of 12500 m was proposed to be made, but a development of 6156m had been made.
Rule 26 (2)	A yearly report to be submitted before 1 <sup>st</sup> July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2016-17.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतीलीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

( एच.सी.शर्मा )  
 वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
 भारतीय खान व्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान व्यूरो, उदयपुर।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
 भारतीय खान व्यूरो